

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(कर अनुसंधान इकाई)

कमरा सं. 156, नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च, 2022

सेवा में,

सीमा शुल्क/सीमा शुल्क (निवारक), केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक

महोदया/महोदय,

विषय: 'पेट्रोलियम ऑपरेशन्स' में शामिल सभी अनुज्ञापी, पट्टाधारी और ठेकेदारों के परियोजनावार ब्यौरे से संबंधित जानकारी- की बाबत;

1. बजट की तैयारी के एक हिस्से के रूप में, 'पेट्रोलियम ऑपरेशन्स' में प्रयुक्त मदों, जो कि अधिसूचना संख्या 50/2017, दिनांक 30 जून, 2017, अधिसूचना संख्या 02/2022, दिनांक 02 फरवरी, 2022 के द्वारा यथा संशोधित, के क्रम संख्या 404 की प्रविष्टि के अन्तर्गत छूट की पात्रता रखते हैं, को युक्तिसंगत बनाया गया है और क्रम संख्या 404 के अन्तर्गत दी जाने वाली छूटों से संबंधित शर्त को और इनके निपटान तंत्र को भी सरल बनाया गया है। तदनुसार डीजीएच के प्रमाण पत्र की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है।

2. अनुज्ञापी, पट्टाधारी, ठेकेदार या उनके उप-ठेकेदारों की पहचान करने में आकलन अधिकारियों के सामने आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए एक लिंक तैयार किया गया है जिससे 'पेट्रोलियम ऑपरेशन्स' के अन्तर्गत आने वाले वर्तमान ब्लॉकों के ठेकेदारों/अनुज्ञापी/ऑपरेटरों का ब्यौरा प्राप्त किया जा सकता है। इस लिंक को नीचे दिया गया है:-

https://online.dghindia.org/upstreamindia/oil_gasblockdetails/info

2.1 यदि आवश्यक हो तो निर्धारण अधिकारी इस लिंक पर उपलब्ध आयातक के विवरण को सत्यापित कर सकते हैं।

3. व्यापारिक/सार्वजनिक सूचनाओं को जारी करके व्यापार एवं औद्योगिक जगत को इस परिपत्र के विषयवस्तु से अवगत करा दिया जाए। क्षेत्रीय कार्यालयों को भी इस बारे में विधिवत सचेत कर दिया जाए। इस परिपत्र के क्रियान्वयन में यदि, कोई कठिनाई आ रही हो, तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जा सकता है।

भवदीय,



17/3/22

(नितिन गुप्ता)

